न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर

बईजलास श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, बीकानेर

नम्बर मुकदमा 02/20 रेफरेंस प्रार्थना पत्र

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

1. दधिमतिचरण पुत्र महादेव जाति आसोपा निवासी नापासर
2. लालचंद पुत्र महादेव जाति आसोपा निवासी नापासर
3. चंपादेवी पत्नि हनुमानप्रसाद मोदी निवासी फड़ बाजार, बीकानेर
4. अरूण कुमार पुत्र हनुमानप्रसाद मोदी निवासी फड़ बाजार, बीकानेर
5. अशोक कुमार पुत्र हनुमानप्रसाद मोदी निवासी फड़बाजार, बीकानेर
6. सरपंच, ग्राम पंचायत नापासर

– अप्रार्थीगण

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थित :–

1– स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

2– अप्रार्थीगण की ओर से श्री सत्यनारायण तिवाडी, अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 18.03.2020

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नापासर के खसरा नं. 937/1 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नं. 937/2 रकबा 0.1100 हैक्टयर 937.05 रकबा 0.1100 हैक्टेयर कुल 5 रकबा 0.5500 हैक्टेयर भूमि जो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 5 के नाम उपखण्ड अधिकारी के आदेश से गैर कानूनी रूप से खातेदारी दर्ज की गयी है, को राज्य हित में रैफरेंस के जरिये निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है। उक्त रकबा अराजीराज घोषित किये जाने बाबत माननीय राजस्व मण्डल, अजमेंर को अग्रप्रेषित करावे।

2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण तथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 5 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये।

3. तदन्तर प्रकरण के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि जमाबंदी गांव नापासर संवत् 2063– 66 में ख.नं. 937 रकबा 29.7500 हैक्टेयर ग्राम पंचायत की आबादी के नाम से दर्ज है। ख.नं. 937/1 0.11 हैक्टेयर दधिमति चरण, ख.नं. 937/2 रकबा 0.1100 हैक्टेयर लालचंद, खसरा नं. 937/3 0.1100 हैक्टेयर चंपादेवी, ख.नं. 937/4 0.1100 हैक्टेयर अरूण कुमार तथा 937/5 रकबा 0. 1100 हैक्टेयर अशोक कुमार के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी भूमि से सम्बन्धित 921 की कुछ भूमि अन्य व्यक्तियों की खातेदारी उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश 23.10.2010 से गैर कानूनी रूप से खातेदारी कर दी गयी है। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 21.09.2001 के प्रस्ताव सं. 4 में गलत तरीके से आबादी भूमि का रूपान्तरण राजस्व खातेदारी भूमि से किया गया। उसे निरस्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। नियम विरूद्ध निर्णय /खातेदारी /इंतकाल/जमाबंदी के इन्द्राज /आवंटन की स्वीकृति के विरूद्ध समय सीमा निर्धारित नहीं है। मामला राज्य सरकार के पक्ष व हित निहित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त रकबा अराजीराज घोषित किये जाने बाबत प्रकरण राजस्व मंडल, अजमेंर को अग्रप्रेषित किया जावे।

5. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिनांक 21.10.2000 को उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर की हैसियत से प्रदान किया गया है जो भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 में कलक्टर के प्रदत्त किये अधिकारो का प्रयोग करते हुए परित किया गया है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी का आदेश कानून में कलक्टर का आदेश माने जाने के कारण उपखण्ड अधिकारी कलक्टर का मातहत नहीं होने से रेफरेंस एण्टरटेन योग्य नही है। एलआर एक्ट की धारा 82 में कलक्टर को केवल अपने से मातहत अधिकारी के आदेश की वैधता को जांचने का अधिकार है न कि बराबर के अधिकार के आदेश को जांचने का । इस कारण रेफरेंस खारिज योग्य है। अपने कथनो के समर्थन में आरआरडी 2011 पृष्ठ 254 व आरआरडी 1989 पृष्ठ 196 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। विद्वान वकील अप्रार्थी की यह भी बहस है कि उपखण्ड अधिकारी के आदेश के विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई थी जो दिनांक 27.02.17 को खारिज हो गयी। इसलिये उपखण्ड अधिकारी का आदेश संभागीय आयुक्त के आदेश में मर्ज हो गया। उपखण्ड अधिकारी का निर्णय मर्ज हो जाने के कारण रेफॅरेंस खारिज योग्य है। अपने कथनो के समर्थन में विद्वान वकील अप्रार्थी ने आरआरटी 2015(1) पेज 110 व आरआरडी 2012 पेज 487 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कहा कि उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर ने राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर रिकार्ड को अपडेट किया हैं। ऐसी दुरूस्ती करने का क्षेत्राधिकार लैण्ड रिकार्ड आफीसर को कानूनन प्राप्त है। अप्रार्थी सं. 6 ग्राम पंचायत द्वारा ना तो समयवधि में अपील प्रस्तुत की गयी एवं ना ही क्रास ओबजेक्शन किया गया हैं। अप्रार्थी सवंत् 2012 से पहले का टिनेंट होने के कारण बाय आपरेशन आफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। ऐसे आदेश के विरूद्ध रेफरेंस नहीं किया जा सकता। तहसीलदार राज्य सरकार का प्रतिनिधि है। उसके द्वारा राज्य सरकार के आदेशो की पालना में कार्यवाही की है। अब राज्य सरकार के आदेश के विरूद्ध रेफरेंस की कार्यवाही नहीं की जा सकती। स्टेट को सरकार के आदेश के विरूद्ध चुन्नौत्ति देने हेतु इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करे। स्टेट गवर्नमेंट कलक्टर की सबऑर्डिनेट नहीं है। इस कारण भी रेफरेंस मेंटेनेबल नहीं है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। रिकार्ड के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रिकार्ड दुरूस्ती का आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर की हैसियत से प्रदान किया गया है जो उपखण्ड अधिकारी ने भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 में कलक्टर के प्रदत्त किये अधिकारो का उपयोग करते हुए पारित किया है। उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 21.10.2010 के विरूद्ध माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.17 को खारिज हो चुकी है। अपील खारिज हो जाने के कारण उपखण्ड अधिकारी का आदेश संभागीय आयुक्त के आदेश में मर्ज होने से प्रकरण माननीय राजस्व मंडल अजमेंर को अग्रप्रेषित किया जाना हम न्यायोचित नहीं पाते है।

7. उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में स्टेट की ओर से तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. आदेश आज दिनांक 18.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर

न्यायालय जिला कलेक्टर बीकानेर [राज.]